

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2-जिलाधिकारी, बहराइच, सुल्तानपुर, अमरोहा, चन्दौली, पीलीभीत, कन्नौज, मैनपुरी,
शाहजहाँपुर व गौतमबुद्धनगर।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक:12 जून, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत नव सृजित 10 तहसीलों एवं जनपद अमरोहा एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत नव सृजित 10 तहसीलों में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के उपयोगार्थ प्रति तहसील 02 टाटा सूमो गोल्ड वाहन हेतु नयी मांग के माध्यम से प्राविधानित रूपये 114.28 लाख एवं निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु प्राविधानित रूपये 500 लाख कुल 614.28 लाख की बजटीय व्यवस्था के सापेक्ष परिशिष्ट-क में उल्लिखित नव सृजित 10 तहसीलों में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के उपयोगार्थ प्रति तहसील 02 टाटा सूमो गोल्ड वाहन एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के 02 निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप 02 टाटा सूमो गोल्ड अर्थात् कुल 22 टाटा सूमोगोल्ड हेतु प्रति वाहन रूपये 5,99,359/- की दर से कुल 1,31,85,898/- तथा जनपद अमरोहा हेतु 01 बोलेरो प्रति वाहन दर रूपये 6,15,386/- अर्थात् कुल धनराशि रूपये 1,38,01,284/- (रूपये एक करोड अड़तीस लाख एक हजार दो सौ चौरासी मात्र) को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नही हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2-उक्त वाहनो का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3-भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जसने व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अतः उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरे अथवा नवीनतम डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें जो भी न्यूनतम हो और लागू हो पर किया जायेगा।

4-उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर के वाहन संख्या-यू0पी0-16-जी0-0121 जीप तथा वाहन संख्या-यू0पी0-16-जी0-0192 टाटासूमो को सक्षम स्तर मण्डलायुक्त से निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के बजाय जिलाधिकारी द्वारा ही निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया है और वाहन नीलाम कर धनराशि भी राजकोष में जमा कर दी गयी है। अतः उक्त दोनो वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय की कार्यवाही से पूर्व उपर्युक्त निष्प्रयोज्यता पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14 मोटर गाड़ियो का क्रय मद से किया जायेगा।

3-स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

4-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-927/दस-2017 दिनांक: 11 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव।

संख्या-1013(1)/एक-4-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 4- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
- 6- राजस्व अनुभाग-6।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।